RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-03
Issue-07
July-2018

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com [UGC Listed Journal]

मध्ययुग में हिन्दू–मुस्लिम एकता के प्रयास

आरती कुमारी यादव

इतिहास विभाग, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (बिहार)

मध्यकालीन सुल्तान धार्मिक दृष्टिकोण से संकीर्ण होने के कारण वह अपने शासन में निवास करने वाले हिन्दुओं के प्रति कठोर धर्मान्ध नीति अपनाते थे। 'इस्लाम अथवा मृत्यु' का सिद्धान्त धार्मिक संकीर्णता की अंतिम पराकाष्ठा कही जा सकती है। वस्तुतः हिन्दुओं के साथ स्वदेश में ही जो अछूतों का व्यवहार मध्यकालीन सुल्तानों द्वारा किया गया, उससे दोनों संप्रदायों के बीच एक ऐसी दरार उत्पन्न हो गयी, जिसको अनेकानेक प्रयासों के बाद भी आज तक पाटा नहीं जा सका है। दोनों जातियों के मध्य घृणा, ईर्ष्या और द्वेष की जो अग्नि प्रज्जवलित हुई उसके परिणामस्वरूप हिन्दुओं ने मुसलमानों को 'म्लेच्छ' तथा मुसलमानों ने हिन्दुओं को 'काफिर' के नाम से संबोधित करना प्रारंभ कर दिया।

सल्तनत–काल से लेकर मुगलकाल के अंतिम महत्वपूर्ण शासक औरंगजेब तक अकबर के अलावा सभी शासकों ने भेदभाव की नीति को अपनाया और हिन्दू जनता को द्वितीय श्रेणी का नागरिक स्वीकार किया। उन्हें अनेक नागरिक अधिकारों से वंचित ही नहीं रखा गया अपितु उन पर तरह–तरह के धार्मिक अत्याचार भी किये गये। राजनीतिक भेदभाव और पक्षपात व्यक्ति आसानी से ह्रदयंगम कर लेता है परन्तु धार्मिक कुठाराघात उसे सहन नहीं होता। मध्यकालीन शासकों द्वारा हिन्दुओं को बलात् इस्लाम में दीक्षित किये जाने, मंदिरों और मूत्रियों के नष्ट किये जाने, धार्मिक रीति–रिवाजों को प्रतिबंधित किये जाने तथा त्योहारों पर अंकुश लगाने से हिन्दू दुःखी थे। सर जदुनाथ सरकार ने लिखा है कि गैर–मुस्लिम जनता को राज्य का शत्रु माना जाता था और उन्हें यथासीाव तरीकों से समाप्त करना प्रत्येक मुस्लिम शासक का कर्त्तव्य था। दूसरे शब्दों में, 'दारूल हर्ब' को 'दारूल इस्लाम' में परिवर्तित करना उनका सर्वोपरि ध्येय था।

उपर्युक्त अत्याचारों के कारण हिन्दू भी मुसलमानों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। वे उनके साथ खान–पान के सम्बन्ध नहीं रखते थे और यदि भूलवश कोई बर्तन मुसलमान छू देता था तब उसे तोड़कर फेंक देते थे। इस प्रकार दोनों संप्रदायों के मध्य वैमनस्य एवं घृणा की ऐसी खाई उत्पन्न हो गयी थी जिसे समाप्त करना सरल कार्य नहीं था, परन्तु फिर भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कुछ कारण समय–समय पर ऐसे बनते रहे जिनके कारण दोनों विरोधी सम्प्रदायों में निकटता आनी प्रारंभ हो गयी और अकबर के उदारवादी शासनकाल में दोनों संप्रदायों के लोगों ने एक–दूसरे के रीति–रिवाजों और परंपराओं को ही नहीं अपनाया अपितु मुगल शासन को अपस में कंधे से कंधा मिलाकर एक सुदृढ़ आधार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

भक्ति आंदोलन के प्रवर्तकों के प्रयास– भक्ति–आन्दोलन के प्रवर्तकों के मुख्यतः दो उद्देश्य थे– प्रथम हिन्दू धर्म में सुधार करना और दूसरे हिन्दू और मुस्लिम धर्म के बीच एकता स्थापित करना। प्रथम उद्देश्य की पूर्ति में भक्ति–आन्दोलन के प्रवर्तक सफल रहे परंतु इस्लाम कठोरता के कारण दूसरे उद्देश्य को प्राप्त करने में वे केवल आंशिक रूप से ही सफल हुए। परंतु फिर भी उनके प्रयासों के कारण दो परस्पर विरोधी धर्मों के बीच एकता का जो बीजोरोपण हुआ वह निस्संदेह स्तुत्य कहा जायेगा।

हिन्दू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों में जो जातीय भेदभाव, घृणा, पक्षपात और संकीर्णता थी, वह भक्ति–आंदोलन के संतों को अनुचित प्रतीत हुई, फलतः उन्होंने अपने साधु–स्वभाव के अनुसार शुद्ध आध्यात्मिकता के आधार पर इस परंपरागत कटुता एवं द्वेष को दूर करने का प्रयास किया। कबीर और नानक ने इस दिशा में जो कार्य किये वे निश्चय ही प्रशंसनीय हैं।

सूफी संतों के प्रयास– भारत में इस्लाम का प्रवेश तलवार की शक्ति के बल पर हुआ। विजेता मुस्लिम आक्रान्ताओं की क्रूरता के कारण इस्लाम के प्रति हिन्दुओं के मन में एक स्वाभाविक अरूचि उत्पन्न हो गयी थी। जिसे कम करने में सूफी संतों का योगदान अविस्मरणीय है। मुस्लिम सूफियों और दरवेशों ने भारत में इस्लाम के प्रचार के लिए प्रेम और सहानुभूति को अपना शस्त्र बनाया। हिन्दु धर्मावम्बियों को इस्लाम की ओर आकृष्ट करने के लिए इन्होंने अनेकानेक हिन्दू रीति–रिवाजों को ही नहीं अपनाया अपितु हिन्दू भाषा का भी सहारा लिया। बौद्ध एवं जैन धर्म के समान ये अहिंसा में विश्वास करते थें। इष्टदेव की कल्पना, उपवास रखना, शारीरिक यातनाएँ, खानकाह के प्रधान (शेख) को झुककर प्रणाम करना, कमण्डल रखना, आगन्तुकों को जल देना आदि इनकी कुप्रथाओं का मूल

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

स्त्रोत हिन्दू धर्म ही था। इन हिन्दू तौर–तरीकों के कारण हिन्दू स्वतः इनकी ओर आकर्षित हुए और दोनों जातियों को परस्पर निकट द्वेष समाप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ।

मुस्लिम कवियों की उदार नीति– सल्तनत काल से लेकर मुगलकाल तक मुसलमान कवियों ने हिन्दी कविता के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से हिन्दू–मुस्लिम एकता का मार्ग प्रशस्त किया। मुस्लिम कवियों में अमीर खुसरो, अब्दुर्रहीम खानखाना, रसखान और शेख मुबारक आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। कुछ कृष्ण–भक्त मुस्लिम लेखकों ने कृष्ण की भक्ति के गीत लिखकर अपने अदम्य साहस और उदारता का परिचय दिया। फलतः हिन्दू धर्म के अनुयायियों ने इन कवियों को हृदयंगम किया। सूफी कवियों में मलिक मोहम्मद जायसी का नाम सर्वप्रमुख है जिसने 'पद्मावत' के माध्यम से इस एकता को बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया।

निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य अमीर खुसरो ने फारसी के स्थान पर हिन्दू को महत्व दिया। उन्होंने अपनी कविताओं में ही हिन्दू को स्थान नहीं दिया अपितु हिन्दी के माध्यम से बातचीत को प्राथमिकता प्रदान की। अपनी पुस्तक 'गुर्रत–उल–कमाल' में उन्होंने लिखा है, 'मैं भारतीय तुर्क हूँ और तुम्हें हिन्दी में उत्तर दे सकता हूँ... चूँकि मैं हिन्द का तोता हूँ, इस कारण हिन्दवी में मुझसे कुछ पूछो ताकि मैं मीठी बात कर सकूँ।''

खुसरो महान् संगीतज्ञ थे। उन्होंने हिन्दू और मुस्लिम वाद्य–यंत्रों को मिश्रित रूप प्रदान किया। संगीत के क्षेत्र में उनके द्वारा किये गये इन परिवर्तनों के कारण भी हिन्दू–मुस्लिम जनता को समीप आने का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि संगीत सदैव सामाजिक एकता स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण व शक्तिशाली साधन रहा है। डॉ. युसूफ हुसैन ने लिखा है : ''खुसरो अपने समय की हिन्दू–मुस्लिम संस्कृति का महान् प्रतिनिधि था।

अकबर के हिन्दू–मुस्लिम एकता के प्रयास– सम्पूर्ण मध्यकाल में केवल अकबर ही एकमात्र ऐसा शासक हुआ जिसे सही अर्थों में राष्ट्रीय शासक की उपाधि से विभूषित किया जा सकता है। अपने पूर्वगामी और बाद के शासकों की नीति से भिन्न उसने अपनी समस्त प्रजा के प्रति जो उदार नीत अपनायी, उसके कारण अकबर की सभी इतिहासकारों ने मुक्तकंठ से प्रशंसा की है। वस्तुतः सम्पूर्ण मध्ययुग में वही एक ऐसा शासक था जिसके शासन में हिन्दुओं ने सुख की साँस ली थी। रॉलिन्सन ने लिखा है : ''वह अपनी प्रजाति का प्रथम पुरूष था जो भारत की एकता के स्वप्न से अभिभूत था, उसके अखण्ड भारत में प्रत्येक मुसलमान, ब्राह्मण, जैन, ईसाई तथा पारसी कंधे से कंधा मिलाकर कानून में बराबरी के आधार पर रह सकता था।''

अकबर की सहिष्णुता की नीति का आधार गहन चिंतन था। उसने सल्तन्त–काल में राजवंशों के अनवरत होने वाले परिवर्तनों के कारणों में तत्कालीन सुल्तानों की धार्मिक संकीर्णता को अनुभव किया था। वह यह भली प्रकार जानता था कि कठोर नीति का पालन करके भारत में स्थायी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का स्वप्न संभव नहीं है, अतः उसने उदार नीति का अवलंबन किया और भेदभाव व पक्षपात की नीति का परित्याग करके दोनों जातियों में फैले विद्वेष को कम करने में योगदान किया।

दाराशिकोह के प्रयास– दारा प्रारंभ में ख्वाजा मुईनउद्दीन चिश्ती का शिष्य था। उसने 'मुनिसुल अर्वा' (आत्मशान्ति दायक) नामक ख्वाजा की जीवनी भी लिखी थी परंतु कालान्तर में मियाँ मीर के आकर्षक व्यक्तित्व और उसकी भक्ति ने तथा मौलाना शाह की प्रसिद्ध से प्रभावित होकर दारा ने अब्दुल कादिर जिलानी के कादरिया संप्रदाय को अपना लिया था। दारा के जीवन का प्रमुख उद्देश्य हिन्दू–मुस्लिम एकता को स्थापित करना तथा दोनों में परस्पर शान्ति और सौहार्द्र स्थापित करना था। उसकी फारसी भाषा में लिखित अनेक पुस्तकों में मुज्मुअ–उल–बहरैन (दो सागरों का मिलन) अत्यंत प्रसिद्ध है।

1605 ई. में अकबर की मृत्यु के साथ उदार सहिष्णु नीति का भी अंत हो गया था। उसके पुत्र जहाँगीर और पौत्र शाहजहाँ की नीति अपने पूर्वजों के समान उदारता की नहीं थी, फिर भी जहाँगीर के शासन की तुलना में शाहजहाँ का युग इस दृष्टि से उदार कहा जा सकता है क्योंकि शाहजहाँ पर अपने ज्येष्ठत्तम पुत्र दाराशिकोह का प्रभाव था जो अत्यंत उदार विचारधारा का पोषक था। यदि भाग्वश औरंगजेब के स्थान पर उत्तराधिकार के युद्ध में सफलता उसको प्राप्त हो जाती तब निश्चय ही मध्यकालीन इतिहास में अकबर के युग की पुनरावृत्ति हो जाती। दारा सूफी मत का अनुयायी और वेदांत का प्रकाण्ड पंडित था। अपनी उदार नीति के कारण वह समन्वयवादी नीति का पोषक था। अपने जीवनकाल में वह निरंतर हिन्दू–मुस्लिम एकता के लिए प्रयास करता रहा। उसने अनेक उपनिषों का फारसी में अनुवाद किया। उसे संस्कृत का असाधारण ज्ञान प्राप्त था। डॉ. यूसुफ हुसैन ने लिखा है : ''दारा की साहित्यिक कृतियों का लक्ष्य इस्लाम और हिन्दू धर्म के मध्य शान्ति व मेलजोल स्थापित करना था, तथा वह धर्मों की असमानता के स्थापित प्रतिबंधों को दूर करना चाहता था।

अनेकानेक विरोधों के बाद भी लंबे समय तक हिंदू और मुसलमानों के साथ–साथ निवास के कारण सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में समन्वय की मंगलकारी प्रवृत्तियों का दिग्दर्शन हुआ। हिन्दुओं और मुसलमानों ने एक–दूसरे के रीत–रिवाजों, खानपान, वेशभूषा और परंपराओं को ही नहीं अपितु स्थापत्य कला, चित्रकला एवं साहित्य के क्षेत्र में उदारता के कारण मिश्रित शैलियों का उदय हुआ जिसके फलस्वरूप कला एवं साहित्य को विकास के लिए नवीन क्षेत्र प्राप्त हुए।

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. इरफान हबीब : मध्यकालीन भारत।
2. अकबरनामा : अबुल फजल।
3. जाफर रज़ा : मध्यकालीन भारत (इस्लामी राज्य बनाम मुस्लिम राज्य)।
4. अनफास–फी–तारीख : सैय्यद सिब्त–उल–हसन फाजिल हंसवी, 1941।
5. प्रो0 राधेश्याम : मध्यकालीन प्रशासन समाज संस्कृति।
6. अनवार–उल–कुर्आन : जीशान हैदरीशान हैदर अलजवादी : लखनऊ, 1999।
7. हरीशचंद्र वर्मा : मध्यकालीन भारत।
8. डॉ0 के0 एल0 खुराना : मध्यकालीन भारतीय संस्कृति।

© RRIJM 2015, All Rights Reserved